आचार संहिता

1. इंटरनैशनल मार्केटिंग कॉरपोरेशन प्राईवेट लिमिटेड (''आई.एम.सी.'' अथवा ''कम्पनी'') का गठन कम्पनी अधिनियम, 1956 के तहत किया गया है तथा कम्पनी का हैड ऑफिस श्री गुरू नानक देव भवन के अंदर, भारत नगर चौक के पास, लुधियाना में स्थित है। कम्पनी आयुर्वैदिक मैडिसिन्स, दवाईयों, हर्बल, हैल्थ केअर, होम केअर, ब्यूटी केअर, पर्सनल केअर प्रॉडक्ट्स तथा पशुओं व खेतीबाड़ी से सम्बन्धित प्रॉडक्ट्स का डायरैक्ट सैलिंग व्यवसाय करती है।
2. आचार संहिता के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा, जैसा कि एसोसियेट एप्लीकेशन फॉर्म में दिया गया है। आई.एम.सी. का प्रत्येक बिजनेस एसोसियेट पूर्ण रूप से समर्पित होकर ईमानदारी और अखण्डता के साथ नियमों का स्वयं भी पालन करे और अपनी टीम के लोगों से भी करवाये।
3. 18 वर्ष तथा इससे अधिक आयु का कोई भी (व्यस्क) व्यक्ति बिना किसी निवेश के आई.एम.सी. का बिजनेस एसोसियेट बन सकता है। आई.एम.सी. बिजनेस में ज्वाइनिंग बहुत आसान और बिल्कुल फ्री है।
4. जो लोग आई.एम.सी. के साथ रजिस्टर होना/बिजनेस एसोसियेट बनना चाहते हैं उन्हें ज्वाइनिंग करते समय KYC Documents के साथ उन KYC Documents के अनुरूप सही और वास्तविक जानकारी देनी होगी। अगर किसी भी समय, आई.एम.सी. को यह पता चलता है कि किसी एसोसियेट ने किसी प्रकार की गलत सूचना दी है तो उसकी एसोसियेट आई.डी. को तुरन्त निलम्बित कर दिया जायेगा तथा बाद में जाँच में सत्यापित होने पर एसोसियेट आई.डी. को रद्द कर दिया जायेगा।
5. प्रत्येक बिजनेस एसोसियेट बिजनेस शुरू करते ही आई.एम.सी. के साहित्य (Literature) का और कम्पनी की वैब साईट (www.imcbusiness.com) पर दी गई जानकारी का अच्छी तरह अध्ययन करे। कम्पनी के प्रॉडक्ट्स व बिजनेस प्लान के बारे में दूसरों को जानकारी देने से पहले बिजनेस एसोसियेट को स्वयं पूरी जानकारी ले।
6. बिजनेस एसोसियेट कम्पनी का एजेंट, कर्मचारी, पार्टनर अथवा कानूनी प्रतिनिधि नहीं होता। बिजनेस एसोसियेट एक स्वतंत्र व्यवसायी के तौर पर कार्य करता है।
7. प्रत्येक बिजनेस एसोसियेट आई.एम.सी. व्यापार का अवसर प्रस्तुत करते समय एवम् उत्पादों को बेचते समय पूरी सच्चाई एवम् सही ढंग से कार्य करे एवम् उत्पादों की बिक्री के समय किसी भी प्रकार का दबाव न डाले तथा किसी प्रकार के झूठे दावे न करे।
8. **ज्वाईनिंग एवम् आई डी एक्टिवेशन (ID Activation):**
   - 8.1. आई.एम.सी. अपनी विशाल प्रॉडक्ट्स रेंज के माध्यम से अपने बिजनेस एसोसियेट्स को व्यापार करने का अवसर देती है। आई.एम.सी. बिजनेस में एसोसियेट बनते ही बिजनेस एसोसियेट्स डिस्काउंटेड रेट्स पर प्रॉडक्ट्स खरीद कर एवम् एम. आर.पी. पर (लेकिन एम.आर.पी. से अधिक रेट पर नहीं) बेच कर और लोगों को स्पोंसर करके अपना बिजनेस बनाना शुरू कर सकते हैं।
   - 8.2. आई.एम.सी. में बिजनेस एसोसियेट बनने (ज्वाईन करने) के लिये एक व्यक्ति का ऑन–लाईन रजिस्टर होना अनिवार्य है। एक व्यक्ति ऑन–लाईन एप्लीकेशन फॉर्म भर कर तथा उसी समय साथ ही ओटीपी (वन टाईम पासवर्ड) वैरीफिकेशन करके कम्पनी का बिजनेस एसोसियेट बन सकता है। एसोसियेट अपना मोबाईल नम्बर ओटीपी की सहायता से वैरीफाई कर सकता है, जो कि ऑन–लाईन रजिस्टर्ड होने के बाद एसोसियेट के रजिस्टर्ड मोबाईल नम्बर पर भेजा जाता है। एक रजिस्टर्ड मोबाईल नम्बर से केवल एक बार ही रजिस्ट्रेशन हो सकता है।
   - 8.3. अगर एसोसियेट ऑन–लाईन एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय ओटीपी की सहायता से अपना मोबाईल नम्बर उसी समय

साथ ही वैराफाई नहीं करता तो ऑन–लाईन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद 48 घण्टे के अंदर–अंदर वह ऐसा कर सकता है, अन्यथा एसोसियेट की आई.डी. स्वतः ही डिलीट हो जाती है। जब तक कोई एसोसियेट ओटीपी के साथ अपना मोबाईल नम्बर वैरीफाई नहीं करेगा, वह अपने साथ किसी अन्य एसोसियेट को स्पोंसर तथा/अथवा कम्पनी से कोई भी खरीददारी नहीं कर सकता।

8.4. अपनी आई.डी. को लगातार सक्रिय (।बजपअम) रखने के लिये प्रत्येक बिजनेस एसोसियेट कुछ–न–कुछ सेल्स वॉल्यूम बनाता रहे। अगर कोई बिजनेस एसोसियेट अपनी अन्तिम सेल अथवा ज्वाईनिंग की तारीख के बाद से छठे महीने की आखिरी तारीख (Closing) तक कोई भी सेल्स वॉल्यूम नहीं बनाता तो कम्पनी में उसकी एसोसियेनशिप खत्म हो जायेगी और उसे कोई आय नहीं मिलेगी और उसकी बनाई हुई टीम को उसके स्पोंसर/अपलाईन के साथ जोड़ दिया जायेगा।

8.4. अपने बिजनेस से आय लेने के लिये बिजनेस एसोसियेट को अपनी पासपोर्ट साईज फोटो, अपना आधार नम्बर, पैन नम्बर, बैंक की पास बुक अथवा कैंसल चैक तथा अपने KYC Documents (पहचान पत्र और निवास स्थान के प्रमाण पत्र जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड) आदि आवश्यक कागजों की स्व–हस्ताक्षरित {Self attested} सॉफ्ट कॉपी कम्पनी की वैब साईट पर अपनी प्रोफाइल में अपलोड करनी होंगी। यदि ज्वाईनिंग करते समय किसी एसोसियेट की अन्य स्रोतों से आय तथा बिजनेस टर्न ओवर (यदि कोई हो), 20 लाख से अधिक होगी तो उपरोक्त Documents के साथ जीएसटी नम्बर देना भी अनिवार्य होगा। जब तक एसोसियेट उपरोक्त क्वबनउमदजे अपलोड नहीं करवायेगा तब तक कोई भी सेल्स इंसैंटिव रिलीज नहीं होगा।

8.5. अपनी आई.डी. को लगातार सक्रिय (Active) रखने के लिये प्रत्येक बिजनेस एसोसियेट कुछ–न–कुछ सेल्स वॉल्यूम बनाता रहे। अगर कोई बिजनेस एसोसियेट अपनी अन्तिम सेल अथवा ज्वाईनिंग की तारीख के बाद से छठे महीने की आखिरी तारीख (Closing) तक कोई भी सेल्स वॉल्यूम नहीं बनाता तो कम्पनी में उसकी एसोसियेनशिप खत्म हो जायेगी और उसे कोई आय नहीं मिलेगी और उसकी बनाई हुई टीम को उसके स्पोंसर/अपलाईन के साथ जोड़ दिया जायेगा।

8.6. जब किसी एसोसियेट की आई.एम.सी. प्रॉडक्ट्स की सेल तथा आई.एम.सी. से आने वाली आय 20 लाख से अधिक होने वाली हो, उससे पूर्व ही एसोसियेट को जीएसटी नम्बर ले लेना चाहिये तथा जीएसटी नम्बर लेकर इसकी जानकारी कम्पनी को तुरन्त देनी चाहिये।

9. किसी एसोसियेट की मृत्यु/शारीरिक हानि होने पर –

9.1. किसी एसोसियेट की मृत्यु होने पर उसका बिजनेस उसके नॉमिनी अथवा कोर्ट द्वारा निर्धारित उत्तराधिकारी को ट्रांसफर हो जायेगा।

9.2. जो रूबी एसोसियेट अपने लैवल को मैंटेन कर रहे हैं और कार फण्ड में आ चुके हैं अगर उनकी मृत्यु हो जाती है अथवा वे पूर्ण विकलांग (Loss of Any Two Limbs) हो जाते हैं और काम करने की स्थिति में नहीं रहते तो कम्पनी उनके परिवार को यह सुविधा देती है कि उस एसोसियेट की आई.डी. पर लीडरशिप बोनस और अन्य इंसैंटिव्स लेने के लिये साईड वॉल्यूम मैंटेन (पी.जी.बी.वी.) करने की आवश्यकता नहीं है।

इस सम्बन्ध में यह ध्यान रखा जाये कि किसी आई.डी. पर लीडरशिप बोनस और अन्य इंसैंटिव्स लेने के लिये उस आई.डी. पर न्यूनतम क्वालिफिकेशन पूरी होनी चाहिये अर्थात् उसकी विभिन्न डाऊनलाईन्स में दो डायरैक्ट एसोसियेट्स का क्वालिफाईड सुपर स्टार होना अनिवार्य है।

9.3. अगर किसी आई.डी. के नीचे विभिन्न क्वालिफाइड सुपर स्टार डाऊनलाईन्स होंगी तो उनमें से जिस क्वालिफाइड सुपर स्टार डाऊनलाईन के बी.वी. सबसे कम होंगे उसे वीकर डाऊनलाईन मानकर उस डाऊनलाईन के बी.वी. पर लीडरशिप बोनस उस एसोसियेट की अपलाइन को चला जायेगा तथा अन्य जिन डाऊनलाईन्स के अधिक बी.वी. होंगे, उन डाऊनलाईन्स के बी.वी. पर लीडरशिप बोनस उसी एसोसियेट को मिलेगा।

9.4. यह नियम रूबी लैवल से ऊपर के प्रत्येक लैवल के एसोसियेट के लिये भी लागू होगा, यद्यपि न्यूनतम क्वालिफिकेशन एसोसियेट द्वारा प्राप्त लैवल के अनुसार होगी।

10. आई.एम.सी. बिजनेस से बने सेल्स इंसैंटिव को एसोसियेट के बैंक खाते में ही ट्रांसफर किया जाता है। अतः सेल्स इंसैंटिव लेने के लिये बैंक डीटेल्स (बैंक का नाम, खाता नम्बर, ब्रांच, आई एफ एस सी कोड आदि) देना अत्यन्त अनिवार्य है। अगर कोई एसोसियेट बैंक डीटेल्स नहीं देता तो उस एसोसियेट का सेल्स इंसैंटिव उसकी आई.डी. में तीन वित्तीय वर्षों तक दिखाई देगा; इसके बाद यह सेल्स इंसैंटिव खत्म हो जायेगा और उसकी आई.डी. में से हट जायेगा। उस के बाद उस सेल्स इंसैंटिव को पाने के लिये कम्पनी में कोई दावा नहीं किया जा सकेगा।

11. आई.एम.सी. बिजनेस द्वारा सेल्स इंसैंटिव पर आयकर के नियमानुसार (as per Income Tax Act and Rules) निर्धारित टी.डी.एस. काट कर सेल्स इंसैंटिव का भुगतान किया जाता है। इसके लिये प्रत्येक एसोसियेट को पैन नम्बर देना अनिवार्य है। यदि कोई एसोसियेट पैन नम्बर नहीं देता तो जिस महीने आय बनी है उस महीने की 25 तारीख के बाद आयकर के नियमानुसार 20% (अथवा आयकर नियम के अनुसार निर्धारित अधिकतम दर पर) टी.डी.एस. काट कर आय का भुगतान किया जायेगा। जिस आई.डी. पर 20 प्रतिशत टी.डी.एस. कटेगा कम्पनी से उस आई.डी. का फॉर्म–16–ए नहीं मिलेगा।

12. आई.एम.सी. बिजनेस से मिलने वाले उपहार आदि के सम्बन्ध में –

12.1. क्वालिफाइ करने वाला एसोसियेट अपने उपहार को पाने के लिये उपहार एचीव करने के बाद 6 महीने के अंदर दावा कर सकता है, 6 महीने बाद आई.एम.सी. द्वारा किसी तरह का कोई दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।

12.2. किसी भी उपहार/टूर को क्वालिफाइ करने वाले एसोसियेट को उपहार/टूर के बदले अन्य उपहार/नगद नहीं दिया जायेगा तथा कम्पनी द्वारा जिस समय टूर ऑर्गेनाइज किया जायेगा उस समय पर ना आने वाले एसोसियेट का टूर अवार्ड समाप्त हो जायेगा। विदेश यात्रा के समय अगर किसी एसोसियेट की वीसा एप्लीकेशन किसी एम्बैसी द्वारा किसी भी आधार पर रिजैक्ट होगी तो इसके लिये कम्पनी जिम्मेदार नहीं होगी और ना ही इसका कोई हर्जाना दिया जायेगा।

12.3. पार्टनरशिप फर्म होने पर अथवा जिस आई.डी. पर एक से अधिक एसोसियेट्स मिल कर काम कर रहे हैं उस आई.डी. पर बनने वाले टूर व उपहार आदि के लाभ एक ही व्यक्ति को मिलेंगे, ना कि सभी पार्टनर्स/एसोसियेट्स को।

13. जो एसोसियेट किसी ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है, उसका जीवन साथी, उसके माता पिता, बेटे–बेटियां एवम् बिजनेस पार्टनर किसी

और ग्रुप के साथ नहीं जुड़ सकते।

13.1. 18 वर्ष से अधिक आयु के पारिवारिक सदस्य को केवल अपनी डाऊनलाइन में ज्वाइन करवाया जा सकता है।

13.2. भाई, बहन तथा विवाहित बेटी – अलग परिवार माने जाते हैं, इसलिये वे किसी अन्य ग्रुप के साथ बिजनेस कर सकते हैं। इस सम्बन्ध में यह ध्यान रखना आवश्यक है कि यह जान–बूझ कर किसी एसोसियेट को बहकाकर अथवा गलत नीयत के साथ ना किया गया हो।

13.3. कानूनी तौर पर अलग हुये पति/पत्नी/पुत्र/पुत्री आदि कम्पनी की आज्ञा से अलग–अलग व्यवसाय कर सकते हैं।

13.4. दो एसोसियेट्स का आपस में विवाह होने पर –

13.4.1. पति–पत्नी दोनों अपनी पुरानी आई.डी. पर अलग–अलग काम कर सकते हैं।

13.4.2. अगर पति–पत्नी दोनों एक साथ काम करना चाहें तो उनमें से एक व्यक्ति को अपनी एसोसियेट आई.डी. से रिजाइन करना होगा और उस आई.डी. की डाऊनलाइन उसके स्पोंसर/अपलाइन को दे दी जायेगी।

13.4.3. आपस में विवाह करने वाले दोनों एसोसियेट कम्पनी नियमों व अधिनियमों के अनुसार पार्टनरशिप फर्म बनाकर भी उस आई.डी. पर कार्य कर सकते हैं, जिससे रिजाइन ना दिया गया हो।

14. एसोसियेट का जीवन साथी स्वतः ही एसोसियेट का को–एप्लीकैंट होगा। अगर एसोसियेट्स का तलाक होगा तो एसोसियेट आई.डी. के लाभ दोनों एप्लीकैंट्स में बराबर–बराबर बाँटे जायेंगे अथवा उन दोनों की सहमति से दिये जायेंगे अथवा कोर्ट के निर्देशों के अनुसार दिये जायेंगे। उपहार/टूर आदि के लाभ काम कर रहे एसोसियेट को ही दिये जायेंगे। इसके लिये एसोसियेट को कोर्ट द्वारा दिये गये तलाक सम्बन्धी कागजात की कॉपी कम्पनी हैड ऑफिस में जमा करवानी होगी।

15. किसी भी दोस्त/रिश्तेदार अथवा किसी अन्य एसोसियेट को अपनी आई.डी. पर व्यापार करने की आज्ञा देना मान्य नहीं है।

16. यदि किसी एसोसियेट की आई.डी. कम्पनी में सक्रिय (Active) है तो वह कम्पनी में किसी और स्पॉन्सर के साथ अपने तथा अपने परिवार के किसी सदस्य के नाम पर दोबारा से ज्वाइनिंग (रीज्वाइनिंग) नहीं कर सकता।

17. अगर कोई एसोसियेट सक्रिय आई.डी. होते हुये किसी अन्य व्यक्ति/एसोसियेट/इंट्रोड्यूसर/स्पोंसर के साथ दोबारा ज्वाइनिंग करता है तो नीचे लिखे गये नियम लागू किये जायेंगे –

17.1. अगर किसी एसोसियेट को कोई भी एसोसियेट बहलाकर (Misguide करके) कम्पनी में दोबारा से ज्वाइनिंग करवाता है तो एसोसियेट की नई आई.डी. को रद्द करने का और उस एसोसियेट के द्वारा बनाई गई उसकी सारी टीम को उस एसोसियेट की पुरानी आई.डी. के साथ जोड़ने का अधिकार कम्पनी के पास है।

17.2. दोषी पाये जाने पर उस एसोसियेट की एसोसियेट आई.डी. रद्द करने एवम् समझौता न होने तक एसोसियेट के इंसैंटिव्स व बोनस आदि रोकने का अधिकार कम्पनी के पास सुरक्षित है।

18. एसोसियेट का त्यागपत्र/एसोसियेट आई.डी. की समाप्ति तथा ट्रांसफर :

18.1. एसोसियेट अपनी इच्छा से अपनी एसोसियेट आई.डी. से त्यागपत्र दे सकता है। अगर वह पुनः आई.एम.सी. बिजनेस को ज्वाइन करना चाहे तो त्यागपत्र देने के 6 माह के बाद वह पुनः ज्वाइनिंग ले सकता है, परन्तु वह अपनी पुरानी आई.डी.

के बिजनेस, आय तथा/अथवा डाऊनलाइन आदि के लिये दावा नहीं कर सकता। त्यागपत्र देने के 6 महीने के दौरान एसोसियेट कम्पनी में ना तो काम कर सकता है और ना ही सक्रिय हो सकता है।

18.2. अगर कोई एसोसियेट कम्पनी की आचार संहिता व नियमों आदि का उल्लंघन करता है तो लिखित नोटिस देते हुये कम्पनी उस एसोसियेट की एसोसियेट आई.डी. को तुरन्त समाप्त (टर्मिनेट) कर सकती है; हालांकि कम्पनी एसोसियेट को एसोसियेट आई.डी. समाप्त करने का लिखित कारण बतायेगी। टर्मिनेट हुआ एसोसियेट कम्पनी को दोबारा ज्वाइन नहीं कर सकता।

18.3. यदि कोई एसोसियेट किसी कारण से अपनी एसोसियेट आई.डी. को ट्रांसफर करना चाहे तो वह कम्पनी की आज्ञा से अपने परिवार के किसी सदस्य के नाम पर ही अपनी एसोसियेट आई.डी. ट्रांसफर कर सकता है। इस सम्बन्ध में आवश्यक प्रमाण पत्र आदि कम्पनी हैड आफिस में जमा करवाने अनिवार्य होंगे तथा कम्पनी का निर्णय अन्तिम माना जायेगा।

19. एसोसियेट्स सीधे आई.एम.सी. के अधिकृत प्रॉडक्ट सैंटर्स से ही प्रॉडक्ट्स खरीदें। कोई भी एसोसियेट क्रॉस ग्रुप में अथवा किसी अन्य एसोसियेट को प्रॉडक्ट्स ना तो बेचे और ना ही खरीदे।

20. एसोसियेट्स किसी भी प्रॉडक्ट सैंटर से सामान खरीदते समय कम्पनी के सोफ्टवेअर से निकला बिल अवश्य लें, नहीं तो उनकी खरीददारी मान्य नहीं होगी और उसका कोई लाभ भी नहीं मिलेगा।

21. प्रॉडक्ट रिटर्न पॉलिसी : अगर कोई एसोसियेट आई.एम.सी. से खरीदे किसी प्रॉडक्ट की गुणवत्ता से संतुष्ट ना हो अथवा किसी प्रॉडक्ट में मैनूफैक्चरिंग अथवा पैकेजिंग डिफैक्ट निकलता है तो एसोसियेट उस प्रॉडक्ट को बदल सकता है/वापिस कर सकता है। प्रॉडक्ट बदलने/वापिस करने के लिये एसोसियेट को खरीद की तारीख से 30 दिन के अंदर–अंदर उसी आउटलैट/डिस्ट्रीब्यूटर/कम्पनी से सम्पर्क करना होगा, जहाँ से प्रॉडक्ट खरीदा गया था। एसोसियेट को प्रॉडक्ट के साथ ठोस कारण तथा सॉफ्टवेअर से निकला असली बिल देना होगा। इस सम्बन्ध में रिफण्ड करने से पूर्व प्रॉडक्ट की एक्सपायरी डेट तथा प्रॉडक्ट की पैकेजिंग की जाँच करना डिस्ट्रीब्यूटर्स की जिम्मेदारी होगी।

अगर कोई एसोसियेट बार–बार प्रॉडक्ट्स वापिस करता है तो आई.एम.सी. को यह अधिकार है कि प्रॉडक्ट्स वापिस करने से इन्कार कर दे।

प्रॉडक्ट वापिस करने के लिये प्रॉडक्ट्स के साथ जमा किये जाने वाले आवश्यक कागजातः

- प्रॉडक्ट रिटर्न फॉर्म, वापिस करने के कारण सहित
- असली बिल

22. बाई बैक पॉलिसी : अगर कोई एसोसियेट अपनी आई.डी. से रिजाईन करना अथवा बिजनेस छोड़ना चाहे तो उसके हित को ध्यान में रखते हुये बाई बैक पॉलिसी बनाई गई है। रिजाईन करने वाला एसोसियेट कम्पनी को प्रॉडक्ट्स वापिस कर सकता है, परन्तु उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रॉडक्ट्स सही तरह से सील्ड, इस्तेमाल ना किये हुये तथा री–स्टॉक अथवा री–सेल करने लायक हों।

जब कोई एसोसियेट बिजनेस से रिजाईन करना चाहेगा : अगर कोई एसोसियेट बिजनेस से रिजाईन करता है तो उसे प्रॉडक्ट्स तथा उसकी एसोसियेट आई.डी. पर मिलने वाले क्लेम, लाभ, बोनस तथा अन्य इंसैंटिव त्यागने होंगे। कम्पनी 30 दिन के अंदर–अंदर खरीदे गये, री–स्टॉक अथवा री–सेल करने लायक एवम् सील्ड प्रॉडक्ट्स ही वापिस लेगी।

रैजीगनेशन प्रक्रिया:

- बिजनेस एसोसियेट को रिजाईन के सम्बन्ध में अपनी लिखित सहमति तथा रिजाईन करने का कारण कम्पनी में देना होगा।
- उसके पास रिजाईन करने की तारीख के बाद से उसकी आई.डी. पर किसी तरह के अधिकार नहीं रहेंगे, ना ही वह किसी तरह का दावा कर सकेगा।
- उसे एक प्रॉडक्ट रिटर्न फॉर्म भरना होगा तथा प्रॉडक्ट्स एवम् असली बिल के साथ जमा करना होगा।
- वापिस किये हुये प्रॉडक्ट्स पर दिये गये बोनस तथा बी.वी. आदि रिजाईन करने वाले एसोसियेट के अपलाईन से काटे जायेंगे। परन्तु अगर बी.वी. से किसी एसोसियेट अथवा अपलाईन का कोई लैवल अपग्रेड हुआ होगा, तो वह वैसा ही रहेगा।
- वापिस किये गये प्रॉडक्ट्स की कीमत में से खरीद के समय दिया गया बोनस, शिपिंग कोस्ट, 10 प्रतिशत हैंडलिंग चार्जेस तथा अन्य खर्चे काट कर बकाया रकम चैक के माध्यम से रिजाईन करने वाले एसोसियेट को कम्पनी द्वारा अदा की जायेगी।
- अगर किसी एसोसियेट को अनैतिक व्यवहार का दोषी पाते हुये कम्पनी द्वारा कम्पनी से टर्मिनेट किया जाता है तो उसकी डाउनलाईन उसके स्पोंसर को ट्रांसफर की जायेगी।

बाई बैक पॉलिसी नियम:

यह नियम सभी बिजनेस एसोसियेट्स पर कठोरता से लागू होता है तथा यह सुनिश्चित करने के लिये है कि अपने क्षेत्र में प्रॉडक्ट्स की मांग व जरूरत को ध्यान में रखते हुये ही प्रॉडक्ट्स खरीदे जायें। यह सलाह दी जाती है कि बिजनेस एसोसियेट प्रॉडक्ट्स का ओवर–स्टॉक ना करें तथा स्पोंसर अपनी डाउनलाईन को प्रॉडक्ट्स खरीदने के सम्बन्ध में सही तरह से गाईड करें। एसोसियेट्स को अपने स्टॉक के 75 प्रतिशत प्रॉडक्ट्स बिकने अथवा व्यक्तिगत तौर पर उपयोग करने के बाद ही प्रॉडक्ट्स खरीदने चाहियें। इससे कम्पनी को प्रॉडक्ट्स की गुणवत्ता सुनिश्चित करने तथा बिजनेस एसोसियेट्स को संतुष्ट करने में सहायता मिलेगी।

23. आवश्यकता से अधिक प्रॉडक्ट्स एवम् बिजनेस सहायता सामग्री खरीदने के लिये ना तो कोई एसोसियेट बाध्य है और न ही वह किसी दूसरे को बाध्य करे।

24. एसोसियेट किसी भी इस तरह की गलत या गैर–कानूनी गतिविधि तथा/अथवा व्यापार में संलग्न ना हो, जो आई.एम.सी. के साथ–साथ किसी भी सैंट्रल, स्टेट या लोकल कानून और रेगुलेशन के खिलाफ हो।

25. **सर्वाधिकार सुरक्षित:**

25.1. आई.एम.सी. तथा आई.एम.सी. की सहायक अन्य सभी कम्पनियों की छपी हर वस्तु, चिन्ह तथा मार्क इत्यादि के सर्वाधिकार (Copyright) आई.एम.सी. तथा आई.एम.सी. की सहायक कम्पनियों के पास सुरक्षित हैं तथा किसी भी छपी वस्तु को पूरा या उसके हिस्से को आई.एम.सी. तथा/अथवा सहायक कम्पनियों की पूर्व लिखित आज्ञा के बिना किसी भी एसोसियेट या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।

25.2. कोई भी एसोसियेट आई.एम.सी. अथवा कम्पनी के किसी प्रॉडक्ट के नाम पर वैब साईट डोमेन नहीं ले सकता।

25.3. कोई भी एसोसियेट आई.एम.सी. प्रॉडक्ट्स को ना तो दुबारा पैक कर सकता है और ना ही इनके लेबल/चिन्ह/मार्क इत्यादि को बदल सकता है।

25.4. दोषी पाये जाने पर एसोसियेट की एसोसियेट आई.डी. को कम्पनी रद्द कर देगी, उसकी सारी बनती आय कम्पनी द्वारा जब्त कर ली जायेगी और उसकी टीम को उसके स्पोंसर/अपलाइन के साथ जोड़ दिया जायेगा।

26. **विज्ञापन/सोशल मीडिया/ऑन लाईन सैलिंग के सम्बन्ध में –**

26.1. अगर कोई एसोसियेट बिजनेस तथा/अथवा प्रॉडक्ट्स सम्बन्धी विज्ञापन देना चाहता हो तो विज्ञापन में कम्पनी के किसी चिन्ह तथा/अथवा मार्क आदि का इस्तेमाल आई.एम.सी. की पूर्व लिखित आज्ञा के बिना नहीं किया जा सकता।

26.2. कोई भी एसोसियेट सोशल मीडिया तथा/अथवा वैब साईट; किसी भी तरह के वैब पोर्टल पर कम्पनी के प्रॉडक्ट्स नहीं बेच सकता।

26.3. विज्ञापन में तथा सोशल मीडिया पर प्रॉडक्ट्स तथा/अथवा बिजनेस के प्रति किसी तरह का प्रलोभन, गलत तथा भ्रमित करने वाली जानकारी देना मना है।

26.4. अगर कोई एसोसियेट ऐसा करता पाया जाता है तो इसके लिये वह स्वयं जिम्मेदार होगा तथा कम्पनी मैनेजमैंट का निर्णय अन्तिम माना जायेगा।

27. कोई भी एसोसियेट कम्पनी के नाम पर किसी भी तरह का लेन–देन नहीं कर सकता और ना ही कम्पनी के आधार पर किसी तरह का कोई करार आदि कर सकता है।

27.1. कोई भी एसोसियेट कम्पनी के नाम पर बैंक अकाऊंट नहीं खोल सकता।

27.2. कोई भी एसोसियेट किसी के साथ भी किसी प्रकार का उधार न करे। अगर कोई एसोसियेट उधार करता है तो उसकी जिम्मेदारी स्वयं एसोसियेट की होगी। कम्पनी की किसी तरह की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

28. आई.एम.सी. बिजनेस में प्रॉडक्ट्स को खरीदने और बेचने से आय की प्राप्ति होती है तथा इस बिजनेस में कामयाब होने के लिये योजनाबद्ध तरीके से निरन्तर कठोर मेहनत करनी होती है। कोई भी एसोसियेट किसी भी व्यक्ति को इस तरह की जानकारी कभी भी ना दे कि इस बिजनेस में योजनाबद्ध तरीके से मेहनत किये बिना या बिना समय लगाये कामयाब हुआ जा सकता है।

29. आई.एम.सी. के प्रॉडक्ट्स कोई भी बेच सकता है। लेकिन अगर कोई एसोसियेट किसी स्थान पर कम्पनी के प्रॉडक्ट्स कनॉपी, स्टॉल (Stall) या प्रदर्शनी (Exhibition) में बेच रहा है तो उस स्थान से सम्बन्धित सरकारी विभाग (Department) अथवा अधिकृत व्यक्ति से उस स्थान पर प्रॉडक्ट बेचने की आज्ञा लेने की जिम्मेदारी एसोसियेट की ही होगी।

29.1. अगर कोई एसोसियेट आयुर्वैदिक कैम्प लगाना चाहता है, जहाँ मरीजों की जाँच करके उन्हें दवा लेने की सलाह दी जानी हो तो यह क्वालिफाइड/सर्टिफाइड डॉक्टर द्वारा किया जाये तथा किसी भी तरह की आज्ञा एसोसियेट को स्वयं लेनी होंगी।

30. कोई भी एसोसियेट आई.एम.सी. के प्रॉडक्ट्स निर्धारित मूल्य से कम/अधिक मूल्य पर तथा/अथवा किसी तरह की स्कीम के

आई.एम.सी.

साथ नहीं बेच सकता।

31. **अनैतिक व्यवसायिक व्यवहार :**

31.1. किसी के एसोसियेट एप्लीकेशन फॉर्म के साथ छेड़छाड़ तथा/अथवा बदलाव करना व उनका दुरूपयोग करना; अपनी टीम की सेल्स को रोकना या अपना पसर्नल टार्गेट पूरा करने के लिये टीम की सेल्स का इस्तेमाल करना मना है।

31.2. अगर कोई एसोसियेट अपनी टीम के किसी एसोसियेट से प्रॉडक्ट्स के लिये पैसे लेकर उसे माल नहीं देता/उसकी सेल के बिल नहीं देता/उसकी सेल अथवा पैसों को अपने व्यक्तिगत लाभ के लिये उपयोग करता है तो दोषी पाये जाने पर ऐसा करने वाले एसोसियेट के विरूद्ध सख्त कानूनी कार्यवाही की जायेगी।

31.3. किसी व्यक्ति को बिजनेस में अपने साथ जुड़ने के लिये लालच देना तथा/अथवा गलत वादे करना मना है।

31.4. अपना या अपने किसी एसोसियेट का बिजनेस वॉल्यूम टार्गेट पूरा करने/करवाने के लिये टीम पर दबाव डालना, जबरदस्ती किसी को माल बेचना अथवा किसी अन्य एसोसियेट की सेल को अपनी आई.डी. पर डालना मना है।

31.5. अगर कोई ऐसोसियेट उपरोक्त अनुसार दोषी पाया जाता है तो आई.एम.सी. की ओर से पीड़ित एसोसियेट को अपना स्पोंसर बदलने का अधिकार दे दिया जायेगा।

32. कम्पनी की मीटिंग्स व सैमीनार्स आदि में धूम्रपान, मद्यपान करना, पान, पान मसाला, तम्बाखू व गुटखा चबाना सख्त मना है। अगर कोई एसोसियेट या उसका कोई मेहमान दोषी पाया जाता है तो कम्पनी एसोसियेट के विरूद्ध यथोचित कार्यवाही करेगी।

33. एसोसियेट द्वारा किसी अन्य एसोसियेट, कस्टमर तथा इनके परिवार के किसी सदस्य के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ अथवा दुर्व्यवहार करना सख्त मना है।

34. आई.एम.सी. के अतिरिक्त किसी अन्य डायरैक्ट सैलिंग कम्पनी में स्वयं या अपने पारिवारिक सदस्य के नाम पर व्यापार करना सख्त मना है। ऐसा करने पर एसोसियेट आई.डी. को बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दिया जायेगा।

35. कम्पनी के प्रॉडक्ट्स, प्रॉडक्ट्स की कीमत, बिजनेस वॉल्यूम, बिजनेस प्लॉन तथा आचार संहिता के नियमों आदि को आवश्यकता एवम् समय के अनुसार बिना कोई पूर्व सूचना दिये बदलने का अधिकार आई.एम.सी. के पास सुरक्षित है। आचार संहिता में परिवर्तन होने पर किसी एसोसियेट को हुये नुकसान की जिम्मेदारी कम्पनी की नहीं होगी।

36. किसी एसोसियेट की एसोसियेट आई.डी. रद्द होने पर एसोसियेट को होने वाले किसी भी तरह के नुकसान की जिम्मेदारी कम्पनी की नहीं होगी। प्रत्येक नुकसान की जिम्मेदारी स्वयं एसोसियेट की होगी।

37. किसी एसोसियेट की एसोसियेट आई.डी. रद्द होने पर आई.एम.सी. द्वारा एसोसियेट के सभी अधिकारों को समाप्त कर दिया जायेगा। एसोसियेट आई.डी. रद्द होने पर बिजनेस से बनने वाली आमदनी बंद कर दी जायेगी और उसकी टीम को उसके स्पोंसर/अपलाइन के साथ जोड़ दिया जायेगा।

38. कोई भी एसोसियेट अपनी लॉग–इन आई.डी. तथा पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति के साथ शेयर ना करे। लॉग–इन आई.डी. तथा पासवर्ड चोरी होने पर तथा/अथवा इनका दुरूपयोग होने पर कम्पनी की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। एसोसियेट्स को यह सलाह दी जाती है कि वे समय–समय पर अपनी आई.डी. का पासवर्ड बदलते रहें।

39. कम्पनी किसी आवेदन को बिना कोई कारण बताये स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकती है।

40. कोई भी व्यक्ति एच.यू.एफ., पार्टनरशिप फर्म, एल.एल.पी., कम्पनी, सोसायटी और ट्रस्ट बनाकर आई.एम.सी. के साथ बिजनेस कर सकता है।

40.1. कम्पनी द्वारा सभी प्रकार की सूचनाऐं किसी एक व्यक्ति को अथवा फर्म द्वारा पूर्व में लिखित तौर पर अधिकृत किये कर्मचारी को ही प्रदान की जायेंगी।

40.2. बिजनेस से आने वाली आय फर्म के नाम से बनेगी।

40.3. फर्म के अनुसार आवश्यक कागजातों, जैसे कि संविधान/पार्टनरशिप डीड, मैमोरैंडम एण्ड आर्टिकल ऑफ एसोसियेशन तथा इनकॉरपोरेशन सर्टिफिकेट की कॉपी; इनमें से यदि कोई हों तो उन्हें पैन (PAN) कार्ड की कॉपी व ज्वाइनिंग फॉर्म के साथ जमा करवायें। एच.यू.एफ. के सम्बन्ध में ज्वाईनिंग फॉर्म के साथ केवल पैन कार्ड की कॉपी ही आवश्यक होगी।

40.4. संविधान में किसी भी तरह के परिवर्तन होने पर आई.एम.सी. को इस परिवर्तन की सूचना तुरन्त देना अनिवार्य है तथा नये ज्वाइनिंग फार्म के साथ नये/परिवर्तित व संवर्धित संविधान की कॉपी कम्पनी ऑफिस में जमा करवायें। नये/परिवर्तित व संवर्धित संविधान के साथ ज्वाइनिंग को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अधिकार कम्पनी के पास सुरक्षित है।

40.5. फर्म को भंग करने की स्थिति में बिजनेस से बनने वाली आय, यदि कोई हो, तो उसका भुगतान पाने के लिये फर्म के स्वामित्व का प्रमाण कम्पनी में जमा करना होगा। कम्पनी द्वारा प्रमाण के स्वीकार किये जाने पर ही आय का भुगतान किया जायेगा। इस सम्बन्ध में यह ध्यान रखा जाये कि फर्म भंग होने के बाद इस सम्बन्ध में कोई भी कार्यवाही तीन माह के अंदर ही हो सकेगी; तीन माह के बाद किसी भी तरह का दावा स्वीकार नहीं होगा।

41. आई.एम.सी. मानवता को सर्वोपरि धर्म मानती है। इसलिये एसोसियेट्स राजनैतिक व धार्मिक विषय पर कोई भी चर्चा न करें तथा किसी के सम्बन्ध में भी विवादित व दिल दुखाने वाली बातें न करें।

42. आई.एम.सी. सभी एसोसियेट्स को पहचान पत्र (आई.डी. कार्ड) जारी करेगी। प्रत्येक एसोसियेट अपने साथ पहचान पत्र रखे तथा ग्राहक के पास बिना किसी पूर्व सूचना के/समय निर्धारित किये बिना नहीं जाये।

42.1. आई.एम.सी. एसोसियेट का पहचान पत्र (आई.डी. कार्ड) एसोसियेट की आई.डी. एक्टिव होने के बाद उसके लॉग–इन एरिया में पहुँच जायेगा। एसोसियेट को अपने लॉग–इन एरिया से अपना पहचान पत्र (आई.डी. कार्ड) डाउनलोड करके प्रिंट करना होगा।

43. सेल्स प्रस्तुति देने से पूर्व एसोसियेट सम्भावित ग्राहक को अपने बारे, कम्पनी के बारे, प्रॉडक्ट्स अथवा सेवाओं के बारे में स्पष्ट एवम् सत्य जानकारी प्रदान करे।

44. एसोसियेट सम्भावित ग्राहक को प्रॉडक्ट्स एवम् सेवाओं, कीमत, उधार सम्बन्धी नियमों, भुगतान सम्बन्धी नियमों, वापिसी सम्बन्धी नियमों, गारण्टी सम्बन्धी नियमों, बिक्री के बाद दी जाने वाली सेवाओं के बारे में सही एवम् पूर्ण जानकारी प्रदान करे।

45. एसोसियेट द्वारा किसी ग्राहक को बिक्री करते समय निम्नलिखित सूचनायें प्रदान करनी होंगीः

(अ) एसोसियेट का नाम, पता, रजिस्ट्रेशन/पंजीकरण संख्या, पहचान का प्रमाण पत्र तथा टैलीफोन नम्बर तथा कम्पनी के विवरण;

(आ) उपलब्ध करवाये जाने वाले प्रॉडक्ट्स अथवा सेवाओं का विवरण;

(इ) लेन–देन से पूर्व ग्राहक को प्रॉडक्ट्स की रिटर्न पॉलिसी विस्तार से समझाना;

(ई) ऑर्डर की तारीख, ग्राहक द्वारा अदा की जाने वाली कुल रकम, बिल;

(उ) सामान की जाँच तथा सुपुर्दगी का समय एवम् स्थान;

(ऊ) ऑर्डर को कैंसल करने तथा/अथवा बिक्री योग्य प्रॉडक्ट्स को वापिस करके अदा की गई पूर्ण रकम को वापिस करने के ग्राहक के अधिकार की जानकारी;

(ए) शिकायतों के निपटारे करवाने सम्बन्धी विस्तृत जानकारी।

46. एसोसियेट को निर्धारित कानून के अनुसार अपने व्यवसाय के एकाउंट्स की यथोचित किताबें तैयार करनी होंगी जिनमें स्वयं द्वारा बिक्री किये गये प्रॉडक्ट्स, प्रॉडक्ट्स की कीमत, कर तथा स्टॉक एवम् इनसे सम्बन्धित अन्य विवरण होंगे।

46.1. स्थानीय, राज्य सम्बन्धी तथा राष्ट्रीय; सभी प्रकार के निर्धारित कानून/नियमों का पालन करने की जिम्मेदारी एसोसियेट की ही होगी।

46.2. स्थानीय, राज्य सम्बन्धी तथा राष्ट्रीय; सभी प्रकार के कर तथा शुल्क आदि का भुगतान करने की जिम्मेदारी एसोसियेट की ही होगी।

47. **एक एसोसियेट नहीं कर सकताः**

(अ) बहकाने वाली, भ्रामक तथा/अथवा व्यवसायिक तौर पर अनुचित जानकारी प्रदान करना;

(आ) बहकाने वाली, झूठी, भ्रामक तथा/अथवा अनुचित भरती करना, किसी सम्भावित डायरैक्ट सैलर को डायरैक्ट सैलिंग के लाभ तथा आय की क्षमता के बारे में गलत जानकारी प्रदान करना;

(इ) किसी सम्भावित डायरैक्ट सैलर को ऐसी सूचना देना जिसको सत्यापित ना किया जा सके अथवा ऐसे वादे करना जिन्हें पूरा ना किया जा सके;

(ई) किसी सम्भावित डायरैक्ट सैलर को डायरैक्ट सैलिंग के झूठे तथा/अथवा भ्रामक फायदे बताना;

(उ) डायरैक्ट सैलिंग के बारे में, डायरैक्ट सैलिंग से आने वाली आय के सम्बन्ध में, आई.एम.सी. तथा डायरैक्ट सैलर/एसोसियेट के बीच होने वाले करार के सम्बन्ध में, अथवा एसोसियेट द्वारा बेचे जाने वाले प्रॉडक्ट्स अथवा सेवाओं के सम्बन्ध में जानबूझ कर झूठी तथा/अथवा भ्रामक जानकारी प्रदान करना;

(ऊ) भविष्य में बनने वाले तथा मौजूदा डायरैक्ट सैलर्स/एसोसियेट्स पर किसी साहित्य अथवा प्रशिक्षण सामग्री अथवा डैमोन्स्ट्रेशन सम्बन्धी उपकरण हेतू दबाव डालना।

48. आचार संहिता के नियमों एवम् दिये गये निर्देशों का उल्लंघन करने पर एसोसियेट के विरुद्ध यथोचित कार्यवाही की जायेगी।

हैड क्वार्टर्स

इंटरनैशनल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन प्रा. लि.,
श्री गुरू नानक देव भवन, भारत नगर चौक, लुधियाना
info@imcbusiness.com www.imcbusiness.com
www.facebook.com/imcbusiness
Toll Free No. 1800-137-0098

आई.एम.सी. हरिद्वार ऑफिस

इंटरनैशनल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन प्रा. लि.,
प्लॉट नं. 94–एफ, सैक्टर 6–ए, आई.आई.ई सिदकुल,
बी.एच.ई.एल., हरिद्वार, उत्तराखण्ड।
Phone : 97618-10098,
E-mail : hdrgm@imcbusiness.com

आई.एम.सी. केरला ऑफिस

इंटरनैशनल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन प्रा. लि.,
बिल्डिंग नंबर 1581, रूम नं. डी, डी1, बी,सी,
वार्ड नं. 18, चेरिया थाराविंगल थेक्कू भागम पाराम्बिल,
कोझिकोडे, केरला 0495-2303885,
E-mail :imckerala@imcbusiness.com